जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 23.05.2024**

एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी पीली धातु, घटना में प्रयुक्त चोरी की मो0सा0, एक अन्य मो0सा0 व अवैध हथियार बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.05.2024 को श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी गऊशाला मौहल्ला नदी रोड़ थाना कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर अपनी हिरनवाड़ा स्थित दुकान से वापस जाते समय बुटराड़ा बस स्टैण्ड पर अज्ञात लोगो द्वारा थैला छीन लेने के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दाखिल की थी। पीडित की तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना का शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस टीम शामली व थाना बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में शामिल 04 अभियुक्तों को लूटी गयी पीली धातु व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल, एक अन्य मोटर साईकिल व अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.मटरू पुत्र बब्लू निवासी ग्राम हडौली माजरा थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

2.शाकिर पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत हाल पता अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

3.शादाब पुत्र इकराम उर्फ इकरामुद्दीन निवासी ग्राम किनौनी बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

4.असलम पुत्र अकबर निवासी ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी गयी पीली धातु वजन करीब 24 ग्राम।

2.घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 **DL5SAL5293**।

3.मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 **UP14GA4806**।

4.एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा विवाहिता से छेड़छाड़ व मारपीट कर ज्वलनशील पदार्थ डालने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 23.05.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा विवाहिता से छेडछाड, मारपीट व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये विवाहिता पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.03.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत विवाहिता के साथ छेडछाड, मारपीट व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये विवाहिता पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के सम्बन्ध पीड़िता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.पंकज पुत्र रामवीर निवासी ग्राम बिलारसी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम पांथुपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली की त्वरित कार्यवाही पीडित के खाते से फोन पे के माध्यम से ठगी की गई 20,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयीः-

शिकायतकर्ता/पीडित श्री विकेश मलिक पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम लिसाढ़ थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के मोबाईल पर व्हॉटसएप्प के माध्यम से परिचित बनकर 20,000/- रुपये की धनराशि फोन पे के माध्य से ट्रांसफर करा ली गयी थी। घटना के सम्बन्ध में पीडित श्री विकेश मलिक उपरोक्त द्वारा साइबर क्राइम थाना शामली पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में पीडित के प्रार्थना पत्र पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली द्वारा पीडित के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गयी धनराशि 20,000/- रुपये को दिनाँक 15.05.2024 को पीडित के खाते में वापस कराया गया है। श्री विकेश मलिक उपरोक्त द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली का आभार व्यक्त किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI